

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(1)नविवि/सवाईमाधोपुर/2015

जयपुर, दिनांक: - 4 AUG 2021

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य नियम, 1962 के नियम 4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसख्यक अधिसूचना दिनांक 31.12.2015 एवं दिनांक 09.11.2016 के द्वारा यथा अधिसूचित "सवाईमाधोपुर के नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान-2035 का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त मास्टर प्लान की प्रति का अवलोकन नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

- ११ -

(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (पूर्व)राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ५/१/२१ में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।


3/8/2021

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय